

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :- श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :- 04/2024

निर्णय दिनांक :- 19.3.2024

प्रार्थी :-

गणपतसिंह पुत्र भोपालसिंहजी उम्र-वयस्क,

जाति- राजपूत, निवासी-गुडा आसकरण, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

-:प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :-

उपस्थिति:-

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरेन्द्रसिंह तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय


दिनांक :- 19.3.2024

1- प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम अणेवा की खाता संख्या 45 जमाबंदी सम्बन्ध 2073-76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 777 रकबा 0.9900 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित (मार्क ए,बी) अनुसार पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 14.4900 हेक्टर किस्म गो.मु. ठरडा में से आवागमन हेतु रास्ते की मांग की गई है।

3- प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/218 दिनांक 12.03.2024 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 15.03.2024 को मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पेज लगातार 02 पर...




विवेक व्यास
19.3.2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4- अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2024/521 दिनांक 15.03.2024 के जरिये पटवार हल्का लाम्पी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक डायलानाकंला से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशांषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. यह कि मौजा ग्राम अणेवा के पटवार मण्डल लाम्पी के खसरा नम्बर 777 रकबा 0.9900 हेक्टर किस्म बारानी दोगम भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है।
2. यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन रास्ता के लिए खसरा नम्बर 188 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 774 रकबा 14.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 148 रकबा 12.00 हेक्टर भूमि में से आना-जाना करता है। इसके अतिरिक्त और अन्य पहुंच मार्ग (रास्ता) रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
3. ग्राम लाम्पी से आता हुआ खसरा नम्बर 188 रकबा 0.44 हेक्टर किस्म गे.मु. रास्ता दर्ज है जो कि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 774 रकबा 14.49 हेक्टर किस्म गे.मु. ठरडा व ग्राम गुडा खोबा के खसरा नम्बर 148 रकबा 12.00 हेक्टर किस्म गे.मु भाकर से लगता हुआ है। जो कि मौके पर रास्ता चालू है। उक्त खसरा नम्बर 777 ग्राम लाम्पी के सरहद पर लगता हुआ है जो प्रार्थी के खातेदारी भूमि में जाने हेतु उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।
4. यह कि प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता के लिये ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 774 कुल रकबा 14.49 हेक्टर किस्म गे.मु. ठरडा में से 9 मीटर चौड़ा रास्ता देने पर 18×9 मीटर = 162 वर्ग मीटर, ग्राम गुडा खोबान के खसरा नम्बर 148 कुल रकबा 12.00 हेक्टर किस्म. गे.मु. भाकर में से 87.70 वर्ग मीटर अर्थात् कुल $162+87.70 = 249.70$ वर्ग मीटर भूमि प्रभावित होगी। जो रास्ते हेतु दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर से प्रभावित रास्ते ग्राम अणेवा का रकबा 162 वर्गमीटर की राशि रूपये 2394/- एवं ग्राम गुडा खोबान का रकबा 87.70 वर्गमीटर की राशि रूपये 1038/- कुल 249.70 वर्गमीटर की राशि रूपये 3432/- बनती है। जिसकी डबल राशि रूपये 6900/- बनती है।

5- बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 774 रकबा 14.49 हेक्टर एवं ग्राम गुडा खोबान के खसरा नम्बर 148 रकबा 12.00 हेक्टर सिवायचक भूमि में से ट्रेस नक्शा में अंकित लाल स्याही अनुसार कुल 249.70 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।



(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
पंज. लगातार 03 पर...

//3//

6- न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 777 रकबा 0.9900 हेक्टर किस्म बाराणी दोयम भूमि में आने - जाने हेतु राजकीय सिवाचयक भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 774 रकबा 14.49 हेक्टर में से 162 वर्गमीटर एवं ग्राम गुडा खोबान के खसरा नम्बर 148 रकबा 12.00 हेक्टर में से 87.70 वर्ग मीटर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 774, 148 के माठ के सहारे-सहारे नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार कुल 249.70 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 6900/- रुपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान राजकोष में जमा करना होगा। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

आदेश


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 249.70 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रुपये 6900/- प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 777 रकबा 0.9900 हेक्टर भूमि किस्म बा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम अणेवा खसरा नम्बर 774 रकबा 14.49 हेक्टर में से 162 वर्गमीटर एवं ग्राम गुडा खोबान के खसरा नम्बर 148 रकबा 12.00 हेक्टर में से 87.70 वर्ग मीटर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खसरा नम्बर 774, 148 के माठ के सहारे-सहारे नक्शा में दर्शित लाल स्याही अनुसार कुल 249.70 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।




(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 19.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।






सहायक कलक्टर

देसूरी
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)



देश मन्दा डिगवाट
 ग्राम अणेवा
 प.म. लोपी
 ट.ट. देसुरी
 जिला पाली
 मैदाना क्षेत्री = 40 मी.



[Signature]
 तहसिलदार देसुरी
 जिला - पाली (राज.)

[Signature]
 देसुरी (प.म. लोपी)
 पाली 14/3/24

C.S.

[Signature]
 19.3.2024

सहायक कलेक्टर
 (प.म. लोपी) देसुरी (पाली)